कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

—:: आदेश ::—

क्रमांक—496 /दो—12—12/2024 दमोह, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

इस स्थापना पर पदस्थ रहे स्व. श्री संतोष रैकवार, निवासी वार्ड नं. 5, शांति नगर कालोनी, दमोह की दिनांक 10.10.2023 को शासकीय सेवा में रहते हुए मृत्यू होने के कारण, उनकी पत्नि **श्रीमती राधा रैकवार** पति स्व. श्री संतोष रैकवार को नियमित भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने की अनुमति रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन कमांक ए/4941/चार—3—1/65 (दमोह) जबलपुर दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अनुमोदित निम्नलिखित अभ्यर्थी को भृत्य के पद पर वेतनमान रूपये 4440—7440+1300 ग्रेडपे (म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत के अंतर्गत लेवल 01 के पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 15500—49000/—) में एवं देय अन्य भत्ते पर पर तीन वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन अन्य आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है :—

स.क.	नाम, पिता/पति का नाम	पद	वर्ग	लिंग	दिव्यांग	आवंटित प्रवर्ग
1	श्रीमती राधा रैकवार पति स्व. श्री संतोष रैकवार, निवासी वार्ड नं. 5, शांति नगर कालोनी, दमोह जिला दमोह, (म.प्र.)	भृत्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	नहीं	अन्य पिछड़ा वर्ग

—:: शर्तें ::—

1. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. सी.3—13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
2. अभ्यर्थी को मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण—पोषण करना होगा, बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि अभ्यर्थी द्वारा मृतक शासकीय सेवक के परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण—पोषण नहीं किया जा रहा है तो अभ्यर्थी की अनुकंपा नियुक्ति समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु जिला चिकित्सा बोर्ड से आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। यदि आरोग्यता प्रमाणपत्र किसी भी समय/स्तर पर असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की सेवायें स्वमेव निरस्त मानी जावेंगी तथा नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु चरित्र सत्यापन प्रपत्र पूर्ति कर मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
5. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी आरक्षी थाने में अनुसंधान लंबित नहीं होने व किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने एवं ना ही विचाराधीन होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्य असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा अपनी वैवाहिक स्थिति एवं संतान के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त

की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

7. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–6 के अनुसार वह अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अपात्र होगा जो निम्न में कोई हो :–

(ए)–उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

(बी)–उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियॉ (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।

(सी)–जो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाये।

(डी)–जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ई)–जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते हुए आगामी प्रसव में दो से अधिक संतान का जन्म होता है)।

8. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–6 के सम्बन्ध में अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर, अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगीं तथा ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही भी की जावेगी।

9. The Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment & Conditions of Service) Rulse, 2016, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्ध–स्थायी सेवा) नियम 1960, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 एवं मध्यप्रदेश (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम–1966 के प्रावधान तथा मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेश/निर्देश, यथास्थिति लागू होंगे।

10. नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण काल मध्यप्रदेश जिला न्यायिक स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2016 के नियम–17 के अनुसार रहेगा। नियुक्ति आदेश प्रेषित किये जाने की दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य है।

11. अभ्यर्थी की सेवायें सदैव शासनाधीन हैं, किसी भी समय आपकी सेवायें ली जा सकती है।

12. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध–स्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम–12 के अनुसार सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।

13. अभ्यर्थी बिना अनुमति लिये किसी शैक्षणिक परीक्षा अथवा अन्य नियोजन हेतु सीधे आवेदन नहीं करेंगे।

14. अभ्यर्थी नियुक्ति पद पर उपस्थित होने के पश्चात् उक्त सेवा के अलावा अन्य किसी नियोजन/व्यवसाय/वृत्ति में नियोजित नहीं रहेंगे।

15. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के कूटरचित अथवा असत्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेंगी तथा वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

16. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

17. शैक्षणिक, तकनीकी एवं अर्हकारी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन में असत्य पाये जाने पर, सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगी तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में की गई घोषणा असत्य पाये जाने पर उनके विरूद्ध वैधानिक/अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही भी की जावेगी।

18. अभ्यर्थी अन्य किसी जिला न्यायिक स्थापना पर अर्न्तमण्डलीय स्थानान्तरण हेतु 3 (तीन) वर्ष तक स्थानांतरण आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

Sukej

(सुमाष सोलंकी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

ok

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक–4761 /दो–12–12/2024 दमोह, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि :–

1– श्रीमती राधा रैकवार पति स्व. श्री संतोष रैकवार, निवासी वार्ड नं. 5, शांति नगर कालोनी, दमोह जिला दमोह, (म.प्र.)

2– जिला कोषालय अधिकारी दमोह (म.प्र.)

3– प्रबंधक, इंडियन बैक (इलाहाबाद), दमोह पोस्ट ऑफिस भदिया, पल्लर तहसील दमोह जिला दमोह की ओर म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक सी–3–12/2013/1/3 दिनांक 29.10.2020 की कंडिका 13.7 (पेंशनर के संबंध में) के अनुकम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4– प्रभारी अधिकारी, लेखानुभाग/नजारत अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दमोह

6– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.) की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

7– लेखापाल/सहायक लेखापाल/वेतन लिपिक/ऑफिस मोहरर्र/एच.आर.एम.एस. लिपिक/प्रेषक लिपिक/जिला नाजिर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/12/25

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

O/C